

14/12/2017

पञ्जावली प्रस्तुत व्यक्तियों
 गय प्रती के अस्तित्व।
 आवेक को प्रोपर्टी का
 व्यक्तिगत रूप से नहीं है,
 अतः कृषीगत न्यायालय
 का आदेश निरस्त किया
 जाता है। सफ़ाया उप-
 खण्ड नजिमे के खिलाफ
 किया जाता है यह प्रती
 को सुनवाई के केवल
 देवर नियमानुसार कार्य
 नहीं प्रारम्भ करे कार्य कर
 करेगा
 आदेश सुनाया गया।



स. सु. च. 155-3-14-15,000 प्र.

जिला कलक्टर
 राजसमन्द